**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2689**

**19 मार्च, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**वस्त्र निर्यात संबंधी दरें**

**2689. श्री माजीद मेमनः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वस्त्र के निर्यात पर शुल्क प्रति अदायगी दरों में पांच प्रतिशत

की कटौती की है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या वस्त्र हेतु सभी नई औद्योगिक दर मौजूदा 7.7 प्रतिशत की तुलना में दो प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार ने शुल्क प्रति अदायगी दरों को वापस लेने तथा वर्तमान पारगमन दरों को 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विश्वास पैदा करने, जीएसटी में निर्बाध परिवर्तन सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में रोजगार बनाए रखने हेतु कौन-से कदम उठाए गए हैं?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) और (ख):** जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले निर्यात योग्‍य वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं पर सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर में छूट के लिए उच्चतर ड्रॉबैक दरें उपलब्‍ध कराई गई थीं। जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर जीएसटी में शामिल हो गए हैं जिसके लिए पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है। इसलिए ड्रॉबैक दरें केवल सीमा शुल्‍कों को शामिल करने के लिए कम की गई हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **अपैरल उत्‍पाद** | **जीएसटी पूर्व ड्रा बैक दर** | **जीएसटी पश्‍चात ड्रा बैक दर** | **कमी** |
| कपास के अपैरल | 7.7% | 2.0% | 5.7% |
| कपास और एमएमएफ फाइबर युक्त ब्‍लेंड के परिधान | 9.5% | 2.5% | 7.0% |
| एमएमएफ फाइबर के अपैरल | 9.8% | 2.5% | 7.3% |
| रेशम के अपैरल (नोइल रेशम युक्त से अलग) | 7.6% | 4.8% | 2.8% |
| ऊन के परिधान | 8.7% | 3.5% | 5.2% |
| ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले ब्लेंड के परिधान | 8.7% | 3.0% | 5.7% |
| अन्‍य के अपैरल | 7.6% | 2.0% | 5.6% |

**(ग):** जीएसटी-पूर्व ड्यूटी ड्रॉबैक दरों को एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में 01.07.2017 से 30.09.2017 तक बढ़ा दिया गया था। संक्रमणकालीन दरों को 31.03.2018 तक बढ़ाने का कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

**(घ):** जीएसटी व्‍यवस्‍था में सुचारु परिवर्तन लाने तथा क्षेत्र में रोजगार की निरंतरता को सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से सरकार ने जीएसटी पूर्व ड्यूटी ड्राबैक, राज्‍य लेवियों में छूट (आरओएसएल) को 01.07.2017 से 30.09.2017 की तीन माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया है और राज्‍य लेवियों की छूट योजना (आरओएसएल) की जीएसटी के बाद की दरों को अंतिम रूप दे दिया है और कार्यान्वित कर दिया है। अग्रिम प्राधिकार और निर्यात संवर्धन पूंजी माल योजना के तहत आयात पर आईजीएसटी को छूट दी गई है। अपैरल तथा मेड-अप्‍स के लिए मर्केडाइज एक्‍सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्‍कीम (एमईआइएस) की दरों को 1 नवंबर, 2017 से 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया था। इस क्षेत्र में रोजगार की निरंतरता को सुनिश्‍चित करने के लिए सरकार, अपैरल तथा मेड-अप क्षेत्रों में 01.04.2016 को अथवा उसके उपरांत सृजित हुए सभी नए रोजगारों के लिए ईपीएफ (पेंशन निधि के लिए पीएमआरपीवाई योजना के अंतर्गत उपलब्‍ध कराए गए 8.33% के अतिरिक्‍त) के अंतर्गत नियोक्‍ता के 3.67% का अतिरिक्‍त अंशदान उपलब्‍ध कराती है।

\*\*\*\*